

प्रेसनोट दिनांक 09.06.202

1. दिनांक 08.06.22 को वादी उ0नि0 श्री अविनाश प्रताप सिंह थाना को0नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अनवर पुत्र नजीर नि0 बेनीगंज थाना को0नगर अयोध्या।आदि 04 नफर एक अभि0 गिर0 अभियुक्तगण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर रुपये की हार जीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तो से जुआ खेलना, मौके से मालफड़ व जामातलाशी के 765 रुपये व 52 ताश के पत्ते बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 443/22 धारा 13 जुआ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 08.06.22 को वादी का0 शैलेश सिंह थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि छोटू निषाद पुत्र रामदेव नि0 जमथरा थाना कैण्ट अयोध्या गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 ली0 कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 200/22 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 08.06.22 को वादी श्री प्रदीप कुमार वर्मा पुत्र अलगू नि0 महादेवा थाना मनकापुर गोण्डा। द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं0 यूपी 32 एलवाई 9668 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए अचानक गाडी का दरवाजा खोल देना जिससे वादी का भतीजा कुलदीप कुमार को गम्भीर रूप से घायल हो जाना तथा ईलाज के दौरान मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 207/22 धारा 279, 337, 338, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 08.06.22 को वादी उ0नि0 श्री विरेन्द्र कुमार थाना महाराजगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मयाराम पुत्र लहुरी प्रसाद कोरी नि0 पातूपुर थाना को0बीकापुर अयोध्या।गिर0 अभि0 के कब्जे से 14 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 212/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 08.06.22 को वादी उ0नि0 श्री विरेन्द्र कुमार थाना महाराजगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि नीलेश यादव पुत्र झडूले प्रसाद यादव नि0 भोया थाना महाराजगंज अयोध्या।गिर0 अभि0 के कब्जे से 12 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 213/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 08.06.22 को वादी श्री अनवर अली पुत्र मो0 सफीक नि0 महलारा पूरे मिचकुरही थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सहबाज पुत्र मो0 रफीक नि0 महलारा पूरे मिचकुरही थाना इनायतनगर अयोध्या।आदि 03 नफर अभि0गण द्वारा वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना तथा समान क्षतिग्रस्त कर देना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 256/22 धारा 323, 504, 506, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 08.06.22 को वादी उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार यादव थाना मवई अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रिंकू पुत्र कालीचरन नि0 महली थाना बल्दीराय सुल्तानपुर। अभि0 द्वारा माननीय न्याया0 द्वारा जारी सम्मन/82 सीआरपीसी के आदेशों की अवहेलना करते माननीय न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत न होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु0अ0सं0 146/22 धारा 174ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।